

A-625

① D. M. S. (PH)

30/10
A. S. S. S. S.

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

कमाक:प08(1)चिस्वा/2/18

जयपुर,दिनांक: 30/10/18

डा0 अनिला श्रीवास्तव,
प्रमुख विशेषज्ञ, (स्त्री रोग),
राजकीय महिला चिकित्सालय,अलवर।

विषय:-आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.18 अस्वीकृत करने की सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा चाहे गये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.18 जो विभाग में दिनांक 15.10.18 को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, आउटडोर में रोगियों की निरन्तर बढ़ती संख्या तथा आमजन को चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने, को दृष्टिगत रखते हुये आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अतः दिनांक 01.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निदेशक(जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित चिकित्सक को अवगत करावें।
- 2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर।
- 3 रक्षित पत्रावली।

3
(ओ0 पी0 वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-625/2018/ 1160 दिनांक : 30/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र डॉ. अनिला श्रीवास्तव, प्रमुख विशेषज्ञ (स्त्री रोग) राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर को डिलीवर कराकर पाबन्द कर निदेशालय को अवगत करावे।
2. डॉ. अनिला श्रीवास्तव, प्रमुख विशेषज्ञ (स्त्री रोग) राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वित्तौडगढ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर को भेजकर लेख है कि आपका दिनांक 01.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के कारण अपने पद पदस्थापित रहें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।